न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **56/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/202

1. श्री नारू पुत्र गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री जगदीश पुत्र लखा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. बाबुलाल पुत्र लखा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. हीरालाल पुत्र लखा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. पन्नीबाई पुत्री गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. रतुबाई पुत्री गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. रूपाबाई पुत्री गोपा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री हार्दीक चेचाणी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.06.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विजनवास, पटवार हल्का विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2618 रकबा 1.1736 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम 5/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 से 6 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 3647/2618, 3648/2618, 3649/2618, 2619, 2623 किता 5 कुल रकबा 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

2663 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में से आराजी नम्बर 3647/2618, 3648/2619, 3649/2623 मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है तथा आराजी नम्बर 2619, 2623 विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा उत्तरी दिशा में स्थित मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 की उक्त वर्णित आराजीयात पर दक्षिण से उत्तर की और जाता हुआ 30 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ होकर आराजी नम्बर 2618 की दक्षिणी सीमा के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर मेरे पूर्वाधिकारी एवं उनके पश्चात् मैं प्रार्थी मेरी उक्त वर्णित आराजी पर आते जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

3. यह कि मुझ प्रार्थी के पास उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये प्रार्थना पत्र की परिशिष्ट (ब) में अंकित आराजीयात में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं और सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि मुझ प्रार्थी सहित विपक्षी संख्या 1 से 6 के नाम पर हैं जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी संख्या 1 से 3 आपस में मिलीभगत कर दिनांक 17–04–2025 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर आये और हम सलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते को ट्रेक्टर से हकाई करवा दिया तथा रास्ते को अपनी जमीन में मिलाकर उस पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं माने बल्कि मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर मुझ को उक्त रास्ते से होकर मेरी भूमि पर आवागमन करने से रोक देने से मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिजन हमारी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहे है और न ही हमारी भूमियों की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहे हैं जिससे मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही हैं।

4. यह कि वर्तमान में मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की परिशिष्ट (ब) में अंकित भूमियों पर ही है जिस रास्ते से होकर ही मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी हमारी [illegible]त आराजीयात पर निर्बाध रूप से कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

कार्य हेतु आवागमन करते रहे है और वर्तमान में भी मुझ प्रार्थी के लिये अपनी–अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने जाने के लिये सुगमता पूर्वक यही मार्ग हैं तथा इसी रास्ते से ही सुगमता पूर्वक मैं प्रार्थी अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकता हूँ। इसके अलावा मेरी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। इन आराजीयात की भूमि शुरू से ही रास्ते के रूप में उपयोग होने के कारण ही इन आराजीयात को सभी सहखातेदारों के सामलाती ही रखी गई थी। मैने मेरी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 3 को परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजीयात में स्थित रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व अनुसार चालु किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 3 ने रास्ते से आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और विपक्षी संख्या 1 से 3 एवं इनके परिवार के सदस्यों ने हमारे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी की भूमियों में आवागमन करने के लिये परिशिष्ट (ब) में अंकित कृषि भूमि के भू भाग पर बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौड़ाई का अर्थात 30 फीट चौड़ा रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा/ जमा कराने को तैयार हूँ।

5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तः स्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया हैं। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 17–04–2025 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से परिशिष्ट (ब) में अंकित भूमियों पर स्थित रास्ते को हकवा कर अपनी जमीन में मिला दिया और रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से 3 को उनकी भूमि में स्थित रास्ते से मेरी ... से पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 3 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी पर पहुँचने तक के लिए परिशिष्ट (ब) में अंकित आराजीयात पर अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित भाग पर 30 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जायें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 7 व 8 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 3 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 3 उनकी परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजीयात में स्थित उक्त रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थी को उसकी परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजी में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी नारू पिता गोपा डांगी निवास विजनवास के नाम दर्ज वर्तमान ऑनलाईन सर्वत् 2077–80 की खाता संख्या 257 के आराजी संख्या 2618 रकबा 1.7336 हैक्टेयर किस्म बजड भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वर्तमान में रास्ता उपलब्ध नहीं है। सलंग्न प्रस्तावित रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक आने–जाने का सलंग्न प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी वाला है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि तक जाने के लिए सलंग्न प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला उपलब्ध नहीं हो सकता है। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि राजस्व ग्राम विजनवास के खसरा संख्या 3647/2618 रकबा 0.0081 हैक्ट किस्म ... में से 0.0081 हैक्ट अर्थात् 81 वर्गमीटर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 3648/2619 रकबा 0.0809 हैक्ट किस्म बजड़ में से 0.0809 हैक्ट अर्थात् 809 वर्गमीटर, खसरा संख्या 3649/2623 रकबा 0.0081 हैक्ट किस्म बारानी द्वितिय में से 0.0081 हैक्ट अर्थात् 81 वर्गमीटर, जो कि खातेदार जगदीश, हीरालाल, बाबूलाल पिता लखा हिस्सा 1/2, नारू पिता गोपा हिस्सा 5/16, पन्नीबाई, रतुबाई, रूपाबाई पिता गोपा हिस्सा 3/16 जाति डांगी सा. देह एवं खसरा संख्या 2619 रकबा 0.8256 हैक्ट. किस्म बजड एवं बारानी द्वितिय में से 0.0400 हैक्ट अर्थात् 400 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 2623 रकबा 1.3436 हैक्ट किस्म बारानी द्वितिय मे से 0.0070 हैक्ट अर्थात् 70 वर्गमीटर जो कि खातेदार जगदीश, हीरालाल, बाबूलाल पिता लखा हिस्सा बराबर के नाम दर्ज है। अर्थात् कुल किता 05 रकबा 0.1441 हैक्ट अर्थात् 1441 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु सलंग्न प्रस्तावित ट्रेस अनुसार है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट है। प्रस्तावित रास्ता भूमि रकबा 0.1441 हैक्टेयर की वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर 1570000/– प्रति हेक्टेयर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की मूल्यांकन रिपोर्ट 226237 रूपये बनती है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का विजनवास, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल संलग्न की गई।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि मेंरी सहखातेदारी की भूमि पर जाने के लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उक्त रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जावे। राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम विजनवास पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 257 पर द[illegible]जी नम्बर 2618 रकबा 1.1736 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रार्थी के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। बिलानाम रास्ता एवं प्रार्थी की भूमि के मध्य विपक्षीगण की आराजी नम्बर 3647/2618, 3648/2619, 3649/2623, 2619, 2623 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रिकोर्डेड रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 3647/2618, 3648/2619, 3649/2623, 2619, 2623 में से होकर जाता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 3647/2618 रकबा 0.0081 हैक्ट किस्म बजड में से 0.0081 हैक्ट अर्थात् 81 वर्गमीटर, खसरा संख्या 3648/2619 रकबा 0.0809 हैक्ट किस्म बजड़ में से 0.0809 हैक्ट अर्थात् 809 वर्गमीटर, खसरा संख्या 3649/2623 रकबा 0.0081 हैक्ट किस्म बारानी द्वितिय में से 0.0081 हैक्ट अर्थात् 81 वर्गमीटर, जो कि खातेदार जगदीश, हीरालाल, बाबूलाल पिता लखा हिस्सा 1/2, नारू पिता गोपा हिस्सा 5/16, पन्नीबाई, रतुबाई, रूपाबाई पिता गोपा हिस्सा 3/16 जाति डांगी सा. देह एवं खसरा संख्या 2619 रकबा 0.8256 हैक्ट. किस्म बंजड एवं बारानी द्वितिय में से 0.0400 हैक्ट अर्थात् 400 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 2623 रकबा 1.3436 हैक्ट किस्म बारानी द्वितीय मे से 0.0070 हैक्ट अर्थात् 70 वर्गमीटर जो कि खातेदार जगदीश, हीरालाल, बाबूलाल पिता लखा हिस्सा बराबर के नाम दर्ज है, में से कुल 1441 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होने वाली विपक्षीगण की भूमि का कुल रकबा 1441 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 15,70,000/– रूपये अक्षरे पन्द्रह लाख सत्तर हजार प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मुल्यांकन 2,26,237/– रू. बनना बताया है। डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

4,52,474/– रूपये बनता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम विजनवास पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा के आराजी नम्बर 3647/2618 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3648/2619 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3649/2623 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2619 रकबा 0.8256 हैक्टेयर में से 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2623 रकबा 1.3436 हैक्टेयर में से 0.0070 हैक्टेयर अर्थात कुल प्रस्तावित रकबा 1441 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 2,26,237/– का दुगुना 4,52,474/– रूपयें अक्षरे चार लाख बावन हजार चार सौ चौत्तर रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 6/खातेदारो को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण/खातेदारो द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested